राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक : एफ 23(2)खा.वि./भण्डार/2002 पार्ट–I   जयपुर, दिनांक : 13.11.2018

सीमित निविदा

इस विभाग में सफाई व्यवस्था का कार्य जोब बेसिस पर करवाये जाने हेतु 03 बडे हॉल, 10 कमरे, 02 शौचालयों व गैलेरी के लिये सफाई कार्य का अनुबन्ध किया जाना है। जिसके लिए दिनांक 22.11.2018 को सांय 03:00 बजे तक संबंधित पंजीकृत एवं अनुभवी फर्म/सेवा प्रदाताओं से सीलबंद लिफाफे में निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं। सफाई के अनुबन्ध में संलग्नानुसार शर्तें शामिल होंगी।

1. निविदा की शर्ते व निविदा प्रारूप संलग्न है।
2. अनुबन्ध की शर्तें एवं निविदा प्र–पत्र किसी भी कार्य दिवस में नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है तथा विभाग से प्राप्त की जा सकती है।
3. कार्यालय के सफाई हेतु सम्पूर्ण क्षेत्र को किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है।

Sd/-
उपायुक्त (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. आर.एन. एण्टरप्राइजेज, 10 सुनिता कॉलोनी, रामपुरा रोड़ (हाज्यावाला), सांगानेर, जयपुर।
2. मै0 विजय एण्टरप्राइजेज, 165, शहीद हरिजन बस्ती, भवानी सिंह रोड, जयपुर।
3. मै0 हेमराज कॉन्टेक्टर, बी–7, श्याम विहार कॉलोनी बी, रामपुरा रोड़, हाज्यावाला, सांगानेर, जयपुर।
4. एस.आर. एण्टरप्राइजेज, एच–43–एस–3, बुद्धसिंहपुरा, आबकारी थाने के पास, सांगानेर, जयपुर।
5. पिंक सिटी एन्टरप्राइजेज, 201, जे.पी. कॉलोनी, सेक्टर–4, विद्याधर नगर, जयपुर।
6. श्री रविन्द्र जैन, प्रोग्रामर को राज्य लोक उपापन पोर्टल एवं विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शन करने हेतु।
7. विभागीय नोटिस बोर्ड/खाद्य भवन, सचिवालय, जयपुर।
8. रक्षा पत्रिका।

उपायुक्त (द्वितीय)

सफाई निविदा (अनुबन्ध) की शर्तें

1. सफाई ठेके का कार्य जॉब बेसिस पर किया जावेगा।
2. यह सफाई अनुबन्ध 1 वर्ष के लिये किया जावेगा। अनुबन्ध में प्रथम पक्ष फर्म/ठेकेदार एवं द्वितीय पक्ष अद्योहस्ताक्षरकर्ता होंगे।
3. निविदा अधीन सफाई योग्य सम्पूर्ण क्षेत्र–3 बडे हॉल, 10 कमरे, 2 शौचालय व गैलेरी आदि की सफाई, धुलाई, पौंछा, जाले साफ करना, टेबल कुर्सियों की सफाई, अलमारी व खिड़कियों से डस्ट हटाने आदि का कार्य सम्मलित है।
4. अनुबन्धित फर्म/ठेकेदार को सफाई कार्य अपने मैनपॉवर से प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 07:00 बजे से 09:00 बजे तक पूर्ण करवाना होगा।
5. शौचालय की लाईन जाम होने पर तुरन्त खुलवा कर ठीक करके चालू स्थिति में रखना होगा। कार्यालय समय में आवश्यकता होने पर सफाई कार्मिक को तुरन्त उपस्थित होना होगा।
6. सफाई व्यवस्था सही नहीं करने या किसी बिन्दू पर पूर्ण सफाई नहीं करने की स्थिति में वसूली योग्य शास्ती निम्नानुसार होगी :–

बिन्दू	शास्ति
हॉल	100/– रूपये प्रतिदिन
कमरे	50/– रूपये प्रतिदिन
शौचालय	100/– रूपये प्रति शौलचालय प्रतिदिन

7. यदि किसी कार्य दिवस पर ठेकेदार के सफाई कर्मी उपलब्ध नहीं होते है तो विभाग द्वारा उक्त कार्य किसी संस्था या व्यक्तियों से करवाना पड़े तो उसका समस्त व्यय ठेकेदार से वसूल किया जावेगा।
8. ठेका स्वीकृति के 5 दिवस में ठेके की वार्षिक राशि का 5% सिक्योरिटी के रूप में डी.डी. या नगद जमा करानी होगी व 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर बन्धक पत्र भरकर 5 दिवस की अवधि में प्रस्तुत करना होगा। जमा राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति राशि ठेका अवधि के पूर्ण होने के दो माह पश्चात लौटाई जा सकेगी।
9. ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि कार्यालय सफाई के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश प्राप्त करने हेतु संबंधित अधिकारी से सम्पर्क करेगा।
10. ठेकेदार स्वयं के व्यय से सफाई में काम आने वाला सामान झाडू, पौछा, तथा फिनाईल, तरल साबुन, एसिड वगैरहा स्वयं कय करेगा।
11. सफाई में इकट्ठा होने वाला कचरा ठेकेदार द्वारा डम्पिंग स्थान अर्थात कचरा पात्र में डालने का कार्य किया जावेगा।
12. ठेकेदार मासिक स्वीकृत राशि के आधार पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल प्रस्तुत करेगा। बिल से नियमानुसार टीडीएस की कटौती की जावेगी।
13. ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाये गये कार्मिकों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी।
14. सफाई कार्य के दौरान यदि कोई कार्मिक की दुर्घटना अथवा नुकसान होगा उसके लिए ठेकेदार ही जिम्मेवार होगा। समुह बीमा आदि की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
15. ठेकेदार द्वारा सभी श्रम नियमों की पालना की जावेगी। इस संबंध में होने वाले किसी भी कमी या गलती के संबंध में कोई भी दण्ड होगा, तो ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।

16. सफाई कार्य पर लगाये जाने वाले कार्मिकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम वेतन का पूर्ण भुगतान करने का दायित्व ठेकेदार का होगा।
17. यदि सफ़ाई कार्मिकों को पीएफ/ईएसआई का भुगतान करना होगा तो ठेकेदार उक्त भुगतान स्वयं करेगा तथा जमा का प्रमाण–पत्र कोई बकाया नहीं देना होगा।
18. किसी भी शर्त में संशोधन या निरस्त करने का अधिकार द्वितीय पक्षकार (विभाग) को होगा। कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर नोटिस देकर अनुबंध की सेवाऐं समाप्त की जा सकती है।
19. ठेकेदार को उनके सफाई कार्मिकों का नाम, पता, मोबाइल नम्बर एवं पहचान पत्र इस कार्यालय को देना होगा।
20. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
21. शर्त या अग्रिम भुगतान की निविदा पर विचार नहीं होगा।
22. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई त्रुटि पाई जाती है तो ठेका निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
23. ठेकेदार को अपने कार्मिकों को प्रत्येक माह की सात तारीख तक आवश्यक रूप से भुगतान करना होगा।
24. यदि अनुबन्ध अवधि में न्यूनतम मजदूरी, प्रा.नि., कर्मचारी राज्य बीमा, सेवाकर आदि में वृद्धि होगी तो ठेकेदार को ही वृद्धि का भुगतान करना होगा।
25. ठेकेदार व उसके सफाई कर्मी कार्यालय में शालीनता से व्यवहार करेंगे। किसी प्रकार की शिकायत होगी तो गंभीरता से लिया जावेगा तथा ठेका निरस्त करने व आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जावेगा।
26. सफ़ाई कर्मियों द्वारा कार्यालय को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उनकी भरपाई ठेकेदार द्वारा करनी होगी।
27. राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा जारी नियमों/उपनियमों परिपत्रों के अनुसार सफाई कर्मियों को भुगतान करने की जिम्मेवारी ठेकेदार की स्वयं की होगी। इन नियमों द्वारा कार्मिकों को मिलने वाली सभी सुविधाऐं व भुगतान के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा। राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से होने वाली किसी भी कार्यवाही या शास्ती के लिए कार्यालय नहीं, स्वयं ठेकेदार जिम्मेवार होगा।
28. ठेके की अवधि में अनुमोदित राशि में किसी भी परिस्थिति में वृद्धि नहीं होगी।
29. ठेकेदार कार्य को किसी अन्य को सबलेट नहीं करेगा।
30. राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा लिए जाने वाले सभी करों/अधिभार का भुगतान करने की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।

उपायुक्त (द्वितीय)

—:: निविदा प्रपत्र ::—

श्रीमान् उपायुक्त (द्वितीय),
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
सचिवालय, जयपुर।

विषय :— सफाई कार्य हेतु निविदा दरें प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय,

हमारी फर्म की सफाई कार्य हेतु दरें एवं वांछित सूचनाऐं निम्नानुसार प्रस्तुत है :—

1. फर्म का नाम एवं पता :—
2. फर्म का बैंक खाता संख्या एवं बैंक ब्रांच :—
3. फर्म का पेन (PAN) नम्बर :—
4. फर्म का जी.एस.टी. पंजियन नं./प्रमाण—पत्र :—
5. फर्म की ई—मेल आई.डी. यदि है तो :—
6. फोन/मोबाईल नम्बर :—
7. सफाई कार्य की दर प्रति माह सभी सफाई सामग्री एवं सभी करों—प्रभारों सहित :—
   अंको में . . . . . रू प्रतिमाह, शब्दों में . . . . रू प्रतिमाह
8. फर्म का पंजीयन नम्बर एवं कार्य अनुभव प्रमाण :—
9. फर्म सीमित निविदा सूचना में अंकित बिन्दुओं सहित निविदा (अनुबन्ध) की सभी शर्तों को स्वीकार करती है।
10. फर्म को निविदा प्र—पत्र की सभी शर्तें मान्य होंगी।

स्थान :—

दिनांक :—

हस्ताक्षर
(फर्म/ठेकेदार प्रतिनिधि)